

कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) जिला राजगढ म.प्र.

क्रमांक/98392/लोसेप्र/2021

राजगढ दिनांक 28/06/2021

Corrigendum-2

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी राजगढ अंतर्गत जारी आरएफपी क्रमांक 98370/PSM/RAJGARH/2021 दिनांक 21/06/2021 (टेन्डर आई डी 2021_DC_147065_1) में बिन्दु क्रमांक 3.1.2 Earnest Money Deposit (EMD) अन्तर्गत शासन के निर्देशानुसार उद्योग आधार के साथ-साथ NSIC और MSME मान्य पंजीकृत फर्म को मात्र पात्रता के आधार पर Earnest Money Deposit (EMD) राशि जमा करने में छूट रहेगी। इसके लिए संबंधित फर्म को पंजीकरण दस्तावेज की स्कैन कॉपी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।



(कमल नागर)

अपर कलेक्टर

जिला राजगढ म.प्र.